संख्या-53/2018/2361 ई-2/तेरह-2018-46/2017टी0सी0-3

प्रेषक,

कल्पना अवस्थी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 03 जुलाई,2018

विषय:-वर्ष 2017-18 की समाप्ति के पश्चात् प्रदेश में बार/क्लब में भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर/समुद्रपार आयातित मदिरा के अवशेष स्टॉक के निस्तारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-62/दस-लाइसेंस-323/88/अवशेष स्टॉक/2018-19, दिनांक 27 जून, 2018 तथा इस सम्बन्ध में दि0 28 जून, 2018 को अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में सम्पन्न समिति की बैठक के कार्यवृत्त पत्र संख्या-2375 ई-2/तेरह-2018-46/2017 दिनांक 28 जून,2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-37/2018/1950 ई-2/तेरह-2018-46/2017, दिनांक 19 मई,2018 द्वारा प्रदेश के विभिन्न जनपदों एवं पर्यटन स्थलों के बार/क्लब में उच्च श्रेणी की मदिरा की परिसर में सेवन हेतु उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने हेतु वर्ष 2017-18 की समाप्ति के पश्चात् उनमें भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर/समुद्रपार आयातित मदिरा के अवशेष स्टॉक पर डिफरेन्शियल ड्यूटी प्राप्त कर अवशेष स्टॉक का एक माह के अन्दर निस्तारण करने की अनुमति प्रदान की गई थी। आपके उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 27 जून,2018 में प्रेषित प्रस्ताव एवं अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुति पर सम्यक् विचारोपरान्त वर्ष 2017-18 की समाप्ति के पश्चात प्रदेश के बार/क्लब में अवशेष स्टॉक के निस्तारण हेतु शासनादेश दिनांक 19 मई,2018 द्वारा अनुमन्य 'एक माह' के समय को निम्नानुसार विस्तारित किया जाता है:-

(1) जिस भारत निर्मित विदेशी मदिरा/समुद्रपार आयातित मदिरा की वर्ष 2017-18 में घोषित ई0डी0पी0/एक्स कस्टम बाण्ड मूल्य रू0 1,000/- प्रति 750 एम0एल0 की बोतल से अधिक थी, उस मदिरा के अवशेष स्टॉक का निस्तारण करने हेतु 31.03.2019 तक का समय प्रदान किया जाता है।

(2) उक्त के अतिरिक्त अन्य भारत निर्मित विदेशी मदिरा/समुद्रपार आयातित मदिरा एवं बीयर के अवशेष स्टॉक का निस्तारण करने हेतु आयुक्तालय से आदेश निर्गमन की तिथि से दो माह का समय प्रदान किया जाता है।

शासनादेश दिनांक 19 मई,2018 की शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

भवदीया,
(कल्पना अवस्थी)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in